सामहरणालय औरंगाबाद (बिहार)

(ज़िला शस्त्र शाखा)

आदेश

आगामी लोक सभा आम चुनाव 2019 में औरंगाबाद जिलान्तर्गत शस्त्रों एवं आपूर्ति की गई गोली का भौतिक सत्यापन हेतु दिनांक–20 फरवरी 2019 से 9 मार्च 2019 तक की तिथि निर्धारित की जाती है। उक्त तिथियों को जिला से निर्गत एंव ओ0डी0 पंजी (अन्य जिला पंजी) के अंकित एन0पी0बोर रिवॉल्वर/पिस्टल के निरीक्षण (भौतिक सत्यापन) हेतु अपर समाहर्त्ता, औरंगाबाद को तथ्या जिला से निर्गत एवं ओ0डी0 पंजी (अन्य जिला पंजी) में अंकित एन0पी0 रायफल/दो नाली बन्दुक एवं एक नाली बंदुक के निरीक्षण (भौतिक सत्यापन) हेतु संबंधित अंचल के अंचल अधिकारी, को दण्डाधिकारी, के रूप में प्राधिकृत किया जाता हैं। सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त तिथियों में वे अपना पहचान पत्र एवं शस्त्र अनुज्ञप्ति की मूल प्रति सम्पूर्ण शस्त्र एवं निर्गत गोली यदि गोलियों का व्यय किया गया है तो उसका पूर्ण ब्योरा एवं तत संबंधी कृत कार्रवाई के साक्ष्य के साथ निर्धारित तिथि के बीच उपस्थित होकर अपने शस्त्रों का सत्यापन करायेगें अन्यथा उनके विरूद्ध आयुध अधिनियम 1959 के सुसंगत धाराओं एवं आयुध नियम 2016 के सुसंगत नियम के आलोक में कार्रवाई की जायगी। इसे ताकिद समझे।

विस्तृत जानकारी जिला के बेबसाईट www.aurangabad.bih.nic.in पर देखा जा सकता हैं।

ह0/-

जिला दण्डाधिकारी,
औरंगाबाद

ज्ञापांक 179/सा0, दिनांक– 9.2.19

प्रतिलिपिः– अपर समाहर्त्ता, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलपिः– सभी अंचल अधिकारी, औरंगाबाद जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8.2.19

जिला दण्डाधिकारी,
औरंगाबाद

C:\l

:x